



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड



(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

CBSE/DIR(ART&I)/OTBA/2013/

दिनांक: 08 अगस्त, 2013
परिपत्र संख्या-अका. 53/2013

के.मा.षि.बो. से संबद्ध
सभी विद्यालयों के प्रमुख

संदर्भ: परिपत्र संख्या-पैक्षणिक-39/2013 दिनांक 31 मई, 2013

विषय: कक्षा IX के संकलित आकलन II एवं के कक्षा XI की वार्षिक परीक्षा, मार्च 2014, में "मुक्त पाठ आधारित आकलन" का परिचय

प्रिय प्रधानाचार्य,

उपरोक्त उद्धृत परिपत्र की निरंतरता में ही विद्यालयों को आगे यह सूचित किया जाता है कि कक्षा IX एवं XI के लिए होने वाले मुक्त-पाठ आधारित आकलन के लिए निर्दिष्ट विषयों में पाठ्य-सामग्री तैयार की जा रही है और सितंबर 2013 तक विद्यालयों को यह उपलब्ध करा दिया जाएगा।

कक्षा IX के संकलित आकलन II के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए:

- (i) संकलित आकलन II में निर्धारित पाठ्यचर्या एवं प्रश्नपत्र अभियोजन के आधार पर मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र 90 अंको (अंग्रेजी में 70 अंक+ASL के लिए 20 अंक) के होंगे।
- (ii) हर मुख्य विषय के प्रश्न-पत्र में मुक्त पाठ-आधारित आकलन (OTBA) के लिए 10 अंको का एक खण्ड होगा।
- (iii) OTBA खण्ड में निर्धारित पाठ आधारित 2-3 सवालों के साथ ही पाठ सामग्री का समावेश होगा। पाठ आधारित प्रश्न उच्च चिंतन कौशलों वाले होंगे, जिसमें छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीखी गई बातों के दिए गए लेख/रिपोर्ट/केस-अध्ययन में प्रयोग करें तथा उनसे उन्मुक्त निष्कर्ष निकालें। पाठ पर आधारित प्रश्न उन्मुक्त, बहिर्वेशनात्मक, अनुमानिक और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया वाले दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले हों।
- (iv) इस विषय में 10 अंकों के OTBA के साथ संकलित आकलन का कुल योग पत्र 100 अंकों का होगा। हाँलाकि SA II का महत्व 30% ही रहेगा।

कक्षा IX एवं XI दोनों के लिए ही मुक्त पाठ-सामग्री तथा नमूना प्रश्न सितंबर, 2013 तक उपयोग हेतु विद्यालयों को उपलब्ध करा दिए जाएँगे।

भवदीया

डॉ. साधना पाराशर

प्रोफेसर एवं निदेशक (पैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18- इन्स्टिटूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए.28ए कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग, जंगली घाट, पी.ओ.-744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह-शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के.मा.शि.बो.
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के.मा.शि.बो.
13. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के.मा.शि.बो. के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के.मा.शि.बो., के निजी सहायक
20. के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)